

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प01(52)एमई/ग्रुप-1/83पार्ट

जयपुर, दिनांक:

6 DEC 2017

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक: प.1(52)एमई/ग्रुप-1/83पार्ट दिनांक 23.08.2017 के द्वारा डॉ. मनीष जैन (मेरिट क्रमांक 4/सामान्य, जन्म तिथि 15.07.1988) को वरिष्ठ प्रदर्शक, पी.एस.एम. के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ. मनीष जैन को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समायावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

इस विभाग के रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 03.11.2017 के द्वारा डॉ. मनीष जैन को निर्देशित करते हुए लिखा गया था कि पदस्थापित स्थान पर 7 दिवस में कार्यभार ग्रहण कर इस विभाग को सूचित करें अन्यथा आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के पत्र क्रमांक 8731 दिनांक 22.11.2017 के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ. मनीष जैन ने वरिष्ठ प्रदर्शक, पी.एस.एम. के पद पर दिनांक 22.11.2017 तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ. मनीष जैन उक्त नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं है।

अतः डॉ. मनीष जैन के द्वारा नवनियुक्ति पर अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(52)एमई/ग्रुप-1/83पार्ट दिनांक 23.08.2017 के द्वारा इनका वरिष्ठ प्रदर्शक, पी.एस.एम. के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

  
(रतन लाल)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ-7(30) भर्ती/गोपनीय /2014-15/149 दिनांक 15.06.2017 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
4. डॉ. मनीष जैन पुत्र श्री विमल चन्द जैन, छाबड़ा भवन, ग्राम-भगवतगढ़, जिला-सवाईमाधोपुर (राज) (रजिस्टर्ड डाक से)
5. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

  
उप शासन सचिव